

निदेशालय, गृह रक्षा राजस्थान, जयपुर।

फोन :- 0141-2612591, फैक्स : 0141-2613407, ई-मेल: dgg.hgcd.ri@nic.in

Website : <http://rajasthanhomeguards.gov.in/>

क्रमांक:निगूर/स्था/ई-1(13-3)/2021पार्ट 34/90

दिनांक 23/12/2022

::- आदेश -::

विभाग के प्रेस नोट क्रमांक: निगूर/स्था/ई-1(13-3)/2021/33612-19 दिनांक 15.12.2022 के क्रम में निर्देशित किया जाता है कि अभ्यर्थियों द्वारा दस्तावेज सत्यापन के समय संलग्न घोषणा/शपथ पत्र भी प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

— 54 —
(विजय सिंह भांभू)

उप महासमादेष्टा,
गृह रक्षा राजस्थान, जयपुर।

प्रतिलिपि:-

1. प्रभारी, कम्प्यूटर शाखा को भेजकर लेख है कि उक्त घोषणा/शपथ पत्रों को विभागीय वेबसाईट पर अद्यतन किया जाना सुनिश्चित करें।

— 55 —
उप महासमादेष्टा,
गृह रक्षा राजस्थान, जयपुर।

मुख्य आरक्षी(आमोँरर), आरक्षी, आरक्षी वाहन चालक, आरक्षी बिगुलर
एवं आरक्षी ड्रममैन पद की परीक्षा हेतु।

घोषणा पत्र/शपथ पत्र

- मैं..... पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री/श्रीमती..... जाति.....
निवासी..... शपथ पूर्वक बयान करता हूँ/करती हूँ
कि-
1. यह कि मेरे विरुद्ध अभी तक किसी भी पुलिस थाने में किसी प्रकार का कोई अभियोग पंजीबद्ध नहीं हुआ है। मेरे विरुद्ध शांती भंग करने सम्बन्धी रिपोर्ट नहीं हुई है। न्यायालय में भी मेरे विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं हुई है।
 2. यह है कि मेरे विरुद्ध अभियोग संख्या..... पुलिस थाना..... में दर्ज अभियोग के सम्बन्ध व न्यायालय में चालान पेश किया गया। न्यायालय द्वारा उक्त मुकदमे में मुझे दोषी/बरी/राजीनामा का निर्णय दिनांक को लिया गया।
 3. यह है कि मेरे विरुद्ध दर्ज अभियोग संख्या..... थाना..... में चालान..... न्यायालय..... में विचाराधीन है।
 4. यह है कि मेरे विरुद्ध दर्ज अभियोग संख्या..... थाना..... में बाद तफ्तीश द्वारा एफआर (FR) लगा दी गई है।
 5. यह है कि मेरे विरुद्ध दर्ज अभियोग संख्या..... थाना..... में बाद तफ्तीश थाने में विचाराधीन है।
 6. मैं यह घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे दिनांक 01.06.2002 को या उसके पश्चात 02 से अधिक बच्चें नहीं हैं। (दिनांक 01.06.2002 के पश्चात किसी एकल प्रसव से एक से अधिक बच्चें पैदा होते हैं तो गणना करते समय एक ईकाई समझा जावेगा)
 7. मैं यह घोषणा भी करता/करती हूँ कि मेरे एक से अधिक जीवित पत्नी/पति नहीं हैं।
 8. मैं यह घोषणा भी करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा विवाह के समय कोई दहेज स्वीकार नहीं किया गया।
 9. यह है कि मुझे किसी चयन बोर्ड/नियुक्ति प्राधिकारी/राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान होम गार्ड अधीनस्थ सेवा नियम, 2021 के किसी भी पद हेतु परीक्षा में बैठने अथवा साक्षात्कार में उपस्थित होने से विवर्जित (DEBAR) नहीं किया गया है।
 10. यह है कि मेरा विवाह श्रीमती/श्री..... निवासी..... के साथ सम्पन्न हुआ था परन्तु अनिवार्य विवाह पंजीयन लागू होने से पूर्व दिनांक को सम्पन्न होने के कारण पंजीकृत नहीं हैं।

या
मेरा विवाह श्रीमती/श्री..... निवास..... के साथ दिनांक.....को राजस्थान राज्य के बाहर सम्पन्न होने के कारण पंजीकृत नहीं हुआ है।

या
मैं..... अविवाहित हूँ।

या
मैं.....विधुर/विधवा हूँ(पति/पति श्री/श्रीमती.....)

मैं तलाक शुदा हूँ (प्रमाण पत्र संलग्न है)

या
मैं परित्यक्ता हूँ एवं मेरा विवाह श्री..... के साथ दिनांक..... को सम्पन्न हुआ था।

नोट:- आवेदक से सम्बन्धित उक्त बिन्दु संख्या 1 से 10 में सूचना अंकित करें तथा सही (✓) का चिह्न लगाएँ शेष में (X) का चिह्न लगाएँ।

हस्ताक्षर घोषणाकर्ता
(आवेदक)

सत्यापन
मैं..... पुत्र/पुत्री/श्रीमती..... जाति..... निवासी.....
..... सत्यापित करता हूँ कि मेरे द्वारा उल्लेखित उपरोक्त बयान पूर्णतया सही है। यदि असत्य पाया गया तो मैं सभी तरह की शासकीय एवं कानूनी दण्ड का उत्तरदायी रहूँगा/रहूँगी।

घोषणा पत्र

मैं.....पुत्र/पुत्री श्री..... जाति..... उम्र.....
वर्ष.....निवास..... घोषणा करता/करती हूँ कि :-

विभाग द्वारा जारी नियुक्ति आदेश क्रमांक.....दिनांक..... द्वारा मेरी
नियुक्तिपद पर हुई हैं। मेरा विवाह दिनांक..... को
श्री/श्रीमती.....पुत्र/पुत्री..... निवासी.....
..... के साथ हुआ था। विवाह के समय मैंने एवं मेरे घर वालों ने ना तो
दहेज लिया और ना ही दिया था। भविष्य में दहेज लिये जाने के सम्बन्ध में मेरी पत्नी एवं ससुराल
पक्ष की ओर से कोई शिकायत विभाग/न्यायालय में दर्ज करवाई जाती है तो मेरी नियुक्ति समाप्त
किये जाने का नियुक्तकर्ता यथा शासन सचिव गृह विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर को.....
..... पूर्ण अधिकार होगा। जिसके लिए मैं
पूर्णरूप से जिम्मेदार रहूंगा/रहूंगी।
स्थान.....
दिनांक.....

हस्ताक्षर घोषणाकर्ता

सत्यापन

मैंपुत्र/पुत्री श्री..... उम्र..... जाति
निवासी..... सत्यापित करता/करती हूँ कि
मेरे द्वारा उल्लेखित बयान पूर्णतया सही है यदि असत्य पाया गया तो मैं सभी तरह की शासकीय एवं
कानूनी दण्ड का/की उत्तरदायी रहूंगा/रहूंगी।

हस्ताक्षर घोषणाकर्ता

साक्षी	
साक्षी ससुराल पक्ष	साक्षी पितृ पक्ष
1. हस्ताक्षर.....	1. हस्ताक्षर.....
नाम.....	नाम.....
पता.....	पता.....
मोबा. न.	मोबा. न.
2. हस्ताक्षर.....	2. हस्ताक्षर.....
नाम.....	नाम.....
पता.....	पता.....
मोबा. न.	मोबा. न.

घोषणा पत्र

मैं..... पुत्र/पुत्री श्री..... जाति..... उम्र.....
 वर्ष..... निवास..... घोषणा
 करता/करती हूँ कि :-

1. मैं..... पुत्र/पुत्री श्री.....
 निवासी.....
 वचनबद्ध हूँ कि मैं तम्बाकू/गुटखा/धूम्रपान सेवन नहीं करता/करती हूँ।
2. मैं..... पुत्र/पुत्री श्री.....
 निवासी.....
 वचनबद्ध हूँ कि स्वच्छ भारत अभियान के अनुसार कि मेरे घर पर पक्का शौचालय बना हुआ है और हम सभी घर वाले शौचालय का उपयोग करते हैं।

हस्ताक्षर घोषणाकर्ता

सत्यापन

मैं..... पुत्र/पुत्री श्री..... उम्र..... जाति.....
 निवासी..... सत्यापित करता/
 करती हूँ कि मेरे द्वारा उल्लेखित उपरोक्त बयान मेरे सर्वोत्तम ज्ञान के अनुसार पूर्णतया सही है यदि असत्य पाया गया तो मैं सभी तरह की शासकीय एवं कानूनी दण्ड के लिए उत्तरदायी रहूंगा/रहूंगी।
 स्थान.....
 दिनांक.....

हस्ताक्षर घोषणाकर्ता

प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए बाध्य सरकार कर्मचारी द्वारा निष्पादित किये जाने वाले बन्ध-पत्र का प्रारूप ड्राफ्ट बॉण्ड

यह बन्ध-पत्र आज दिनांक..... माह..... सन्..... को एक पक्ष में..... पद..... पर नियुक्त श्री..... पुत्र श्री..... निवासी..... (जो इसमें आगे एतद् पश्चात "प्रशिक्षार्थी" कहलावेगा) और दूसरे पक्ष के प्रथम जामिन श्री पुत्र श्री..... निवासी..... एवं द्वितीय जामिन श्री..... पुत्र श्री..... निवासी..... (जिन्हे इसमें आगे एतद् पश्चात सामूहिक रूप से जामिन कहा जायेगा) की ओर से राजस्थान राज्य के राज्यपाल (जिन्हे आगे एतद् पश्चात सरकार कहा जायेगा) के पक्ष में लिखा गया।

चूंकि सरकार ने प्रशिक्षार्थी को..... पर नियुक्ति हेतु चुना है।

और चूंकि नियमानुसार यह आवश्यक है कि प्रशिक्षार्थी को उस पद पर का स्वतंत्र रूप से प्रभार सम्भालने से पूर्व जिसके लिए उसे चुना गया है..... की अवधि का प्रशिक्षण..... और चूंकि सरकार इसमें आगे एतद् पश्चात दी हुई शर्तों पर प्रशिक्षणार्थी को प्रशिक्षण में भेजने के लिए इस प्रतिबन्ध के साथ सहमत हो गई है कि प्रशिक्षणार्थी द्वारा इसकी कथित शर्तों का पूर्णतः पालन करने के लिए जामिन मजानत देंगे,

और चूंकि जामिन प्रशिक्षार्थी द्वारा इसकी कथित शर्तों का पूर्णतः अनुपालन करने के लिए जमानत देने को सहमत हो गये हैं।

अतः अब यह विलेख निम्न बातों का साक्षी है कि—

1. कि सरकार के प्रशिक्षणार्थी को के पद पर नियुक्ति हेतु चयन करने तथा नियमानुसार उसके प्रशिक्षण की व्यवस्था करने के विचार से एवम् कथित करार के अनुसरण में प्रशिक्षणार्थी एतद् द्वारा सरकार के साथ संविदा करता है कि ऐसे प्रशिक्षण के दौरान तथा इस प्रशिक्षण के पूरे होने के बाद दो वर्ष के भीतर वह उपयुक्त कथित पद जिसके लिए वह चुना गया है, से न तो त्याग पत्र देगा और जिस पद के लिए वह चुना गया है, उससे अतिरिक्त न किसी अन्य पद पर नियोजित ही होगा।
2. कि उपयुक्त कथित विचार को ध्यान में रखकर और कथित करार के अनुसरण में प्रशिक्षणार्थी और जामिन एतद् द्वारा सहमत हैं कि प्रशिक्षण की अवधि के दौरान या प्रशिक्षण पूरा होने के दो वर्ष की अवधि के भीतर यदि प्रशिक्षणार्थी त्याग पत्र देता है या उक्त अनुच्छेद(1) का उल्लंघन करते हुए कहीं और नियोजित होता है तो प्रशिक्षणार्थी और जामिन पृथक-पृथक रूप से और सामूहिक रूप से वह समस्त राशि सरकार को वापस अदा करेंगे जो सरकार प्रशिक्षण की अवधि में प्रशिक्षणार्थी को देती है, इसके साथ वे सब अन्य खर्च भी सरकार को

लौटायेंगे जो इसमें सरकार को करने पड़े। किन्तु, इसमें प्रासंगिक नियमों के अधीन प्रशिक्षणार्थी को दी गई यात्रा-भत्तें और दैनिक भत्तें की राशि शामिल नहीं होगी;

बशर्ते कि प्रशिक्षणार्थी और जामिनों को प्रशिक्षणार्थी की प्रशिक्षण के दौरान दी हुई वह राशि तब तक नहीं लौटानी पड़ेगी जब सरकार की राय में प्रशिक्षणार्थी को दिया हुआ यह प्रशिक्षण किसी अन्य नियुक्ति पर भी उपयोगी सिद्ध होता हुआ जान पड़े।

इसी के साक्ष्य स्वरूप यह बन्ध-पत्र प्रशिक्षणार्थी और जामिनों द्वारा उपयुक्त अंकित दिनांक और वर्ग को हस्ताक्षरित किया गया है।

प्रशिक्षणार्थी द्वारा हस्ताक्षरित

साक्षी.....

साक्षी.....

प्रथम जामिन द्वारा हस्ताक्षरित

साक्षी.....

साक्षी.....

प्रथम जामिन द्वारा हस्ताक्षरित

साक्षी.....

साक्षी.....

प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त जामिनों के पास अचल सम्पत्ति है और उस अचल सम्पत्ति का मूल्य..... रुपये से कम नहीं है।

कलक्टर/सहायक कलक्टर/
परगनाधिकारी/तहसीलदार
के हस्ताक्षर

विशेष ध्यान देने हेतु इस प्रमाण पत्र में जो राशि भरी जाये वह उस समस्त अनुमानित राशि से कम नहीं होनी चाहिए जो सरकार द्वारा प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षणार्थी को दी गई थी।